HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9080/2026
CNR: RJHC020564132026 | URN: CRLMB / 16633U / 2026

Mahendra Kachhawa S/o Sh. Bhanwar Lal, Aged About 45 Years, R/o In Front of H.M.T., Beawar Road, Ajmer.
(At Present Lodged In Central Jail, Ajmer)

----Accused/Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vivek Goyal
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

04/08/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना क्लॉक टावर जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 156/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8, 20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप नहीं है। स्वतंत्र साक्षीगण की उपस्थिति में मादक पदार्थ जब्त नहीं हुआ है। जिस वाहन से मादक पदार्थ बरामद हुआ है, वह वाहन टैक्सी है और प्रार्थी/अभियुक्त के पंजीकृत स्वामित्व का वाहन है। सहअभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह व सलीम चीता द्वारा टैक्सी प्रार्थी/अभियुक्त से ली गई थी और टैक्सी के रूप में प्रार्थी/अभियुक्त वाहन

को चला रहा था। सहअभियुक्तगण द्वारा क्या सामान ले जाया जा रहा है, इसका कोई दायित्व प्रार्थी/अभियुक्त पर नहीं है। वाहन के अंदर एक कट्टे में 40 पैकेट मिले हैं। विधि–अनुसार प्रत्येक पैकेट में से नमूना विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे जाने के लिए दिया जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रकरण में नहीं लिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से जब्ती सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय से पूर्व की गई है। एन.डी.पी.एस अधिनियम, 1985 की धारा 42 में वर्णित प्रावधान की पालना नहीं किए जाने के कारण से प्रार्थी/अभियुक्त को दोषी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में कट्टा पैकेट, थैलियों का वजन भी गांजे के वजन में जोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है। अधिनियम, 1985 की धारा 42, 50, 57 में वर्णित प्रावधानों की पालना इस प्रकरण में नहीं हो पाई है। मादक पदार्थ पार्सल के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा नहीं दिया गया है वरन अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को गलत आधारों पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किया हैंः–

1. Shambhu Singh Vs. State of Rajasthan, Through PP; S.B. Criminal Misc. Second Bail Application No. 217/2026; order dated 06.03.2026.

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा का 21.220 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है तथा उसके विरुद्ध पूर्व में 3 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध

आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना के तथ्यों के अनुसार दिनांक 17.11.2025 को समय सायं 06.35 पी.एम. पर ईको कार संख्या आर.जे 01–टी.ए. 5718 में चालक सीट पर बैठे प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र कच्छावा तथा अन्य सहअभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह व सलीम चीता, सलीम उर्फ लंगडा की उपस्थिति में वाहन के अंदर कट्टे में रखे 21.220 किलोग्राम गांजा प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे से बरामद हुआ है। कट्टे व थैलियों का वजन मिलाकर मादक पदार्थ का वजन 21.220 किलोग्राम था या नहीं तथा थैलियों व कट्टे के वजन को उक्त मादक पदार्थ के वजन से पृथक नहीं करने पर उसका क्या प्रभाव होगा, इस तथ्य का अवधारण गुणावगुणों पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम, 1985 की धारा 42, 50, 57 में वर्णित प्रावधानों की पालना की गई है या नहीं की गई, यदि नहीं की गई है तो उसका क्या प्रभाव होगा, इस तथ्य का अवधारण भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र में न्यायालय को प्रकरण को गुणावगुणों पर निर्णीत नहीं करना है। इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे से 21.220 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जो वाणिजियक मात्रा से अधिक है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 3 प्रकरण दर्ज होना बताए गए हैं, जिसमें एक प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 95/2003 अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. में 2 वर्ष का साधारण कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता हो यह इस स्तर पर प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आपराधिक प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए

इस प्रकरण में धारा 37 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। मादक पदार्थों के प्रकरण में अत्यंत वृद्धि हो रही है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित विनिश्चय **"Union of India Vs. Ajay Kumar Singh Alias Pappu;** 2023 SCC OnLine SC 346**"** के सुसंगत भाग को यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगाः—

> ***"14.*** *This apart, it is noticed that the High Court, in passing the impugned order of bail, had lost sight of Section 37 of the NDPS Act, which, inter alia, provides that no person accused of an offence involving commercial quantity shall be released on bail unless the twin conditions laid down therein are satisfied, namely, (i) the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the bail application; and (ii) the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such an offence and that he is not likely to commit any such offence while on bail.*
>
> ***15.*** *For the sake of convenience Section 37(1) is reproduced hereinbelow:—*
>
> *"37. Offences to be cognizable and nonbailable.-*
>
> *(1) Notwithstanding anything contained in the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974)-*
>
> *(a) every offence punishable under this Act shall be cognizable;*
>
> *(b) no person accused of an offence punishable for 2[offences under section 19 or section 24 or section 27A and also for offences involving commercial quantity] shall be released on bail or on his own bond unless-*
>
> *(i) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and*
>
> *(ii) where the Public Prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail."*
>
> *16. In view of the above provisions, it is implicit that no person accused of an offence involving trade in commercial quantity of narcotics is liable to be released on bail unless the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such an offence and that he is not likely to commit any offence while on bail."*

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित विनिश्चय **"State of Punjab Versus Balraj Singh @ Billa**; 2023 INSC 618**"** के पैरा संख्या 14, 15, 16, 17 को भी यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगाः—

*14. As rightly submitted by the appellant State, this Court, in **Lalrintluanga Sailo** (Supra) while setting aside the bail granted by the High Court therein had held that consideration on the twin conditions under Section 37 of the NDPS Act is essential by the concerned Court. It was observed:*

10. Thus, the provisions under Section 37(1)(b)(ii) of the NDPS Act and the decisions referred supra revealing the consistent view of this Court that while considering the application for bail made by an accused involved in an offence under the NDPS Act a liberal approach ignoring the mandate under Section 37 of the NDPS Act is impermissible. Recording a finding mandated under Section 37 of the NDPS Act, which is sine qua non for granting bail to an accused under the NDPS Act cannot be avoided while passing orders on such applications."

***15.** To the similar effect, this Court in **State by the Inspector of Police v. B. Ramu** reiterated that satisfaction with the conditions laid down under Section 37 of the NDPS Act is mandatory while entertaining a prayer for bail involving commercial quantity of narcotic drugs. [See also: **Ajay Kumar Singh alias Pappu (Supra)**]*

***16**. In similar circumstances, this Court in **Union of India v. Namdeo Ashruba Nakade** observed that the mandatory nature of Section 37 cannot be dispensed with:*

> *"12. Prima facie this Court is of the opinion that the Respondent-accused is involved in drug trafficking in an organized manner. Consequently, no case for dispensing with mandatory requirement of Section 37 of the NDPS Act is made out in the present matter.*
>
> *13. Moreover, this Court is of the view that as the accused has been charged with offences punishable with ten to twenty years rigorous imprisonment, it cannot be said that the Respondent has been incarcerated for an unreasonably long time."*

***17.** Keeping in view the above expositions of law, we now proceed to examine the impugned order. The abovementioned decisions of this Court display the consistent view that when it comes to cases involving commercial quantity of narcotics, the mandatory requirements of Section 37 ought to be considered. It is not in dispute that the case at hand, involves commercial quantity. In such a scenario, consideration and reference to the twin conditions enumerated under Section 37 of the NDPS Act was mandatory. Upon a bare perusal of the impugned order, it is evident that there has been no consideration at all by the High Court on the twin conditions. In such a scenario, the impugned order cannot be sustained in the eyes of law.*

प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे से 21.220 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ है, जो वाणिज्यिक मात्रा से

अधिक है, अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **महेन्द्र कच्छावा पुत्र श्री भंवर लाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

चूंकि प्रार्थी/अभियुक्त अभिरक्षा में है, अतः विद्वान विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण के त्वरित गति से निस्तारण का प्रयास करे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

30/KISHAN SONI